



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-665-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2017-29-प्र०सु०/2001

दिनांक 30.08.2017

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-87-प्र०सु०-01/पाकालि/2002-20-प्र०से०/2000, दिनांक 25.02.2002 के माध्यम से विद्युत वितरण एवं पारेषण संगठन के कार्य-कलापों के सुचारु रूप से कार्य सम्पादन/संचालन हेतु विभिन्न स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों के मुख्य उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व एवं प्रशासकीय उत्तरदायित्व का समग्रता में निर्धारण किया गया है।

2. उक्त आदेशों को प्रभावी रखते हुये अतिरिक्त रूप में एतद्वारा विभिन्न कार्यों के लिए निम्नांकित अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होंगे, लेकिन कार्यों से सम्बन्धित निर्देश श्रृंखला (CHAIN OF COMMAND) यथावत् रहेगी :-

कार्य	प्रारम्भिक उत्तरदायित्व	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व	डिस्कॉम स्तर पर उत्तरदायित्व
राजस्व संग्रह (Revenue Collection)	अधिशाली अभियन्ता (वितरण)	मुख्य अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (वाणिज्य)
फीडर मीटरिंग/अपडेशन (Feeder Metering/ Updation)	अधिशाली अभियन्ता (परीक्षण)	अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (वाणिज्य)
कंज्यूमर टैगिंग (Consumer tagging)	उपखण्ड अधिकारी (वितरण)	अधिशाली अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (वाणिज्य)
बिलिंग (Billing)	उपखण्ड अधिकारी (वितरण)	अधिशाली अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (वाणिज्य)
फीडरवाइज हानि कम करना (Feederwise loss reduction)	अवर अभियन्ता (वितरण)	अधिशाली अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (वाणिज्य)
नये विद्युत संयोजन (New Electricity Connection)	अधिशाली अभियन्ता (वितरण)	अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (तकनीकी)
लेजराइजेशन (Ledgerization)	अधिशाली अभियन्ता (वितरण)	अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (वाणिज्य)
आपूर्ति अनुरक्षण (Supply Maintenance)	अवर अभियन्ता (वितरण)	अधिशाली अभियन्ता (वितरण)	मुख्य अभियन्ता (वितरण)
ट्रान्सफार्मर प्रबन्धन (Transformer Management)	अवर अभियन्ता (वितरण)	अधिशाली अभियन्ता (वितरण)	मुख्य अभियन्ता (वितरण)
बड़े उपभोक्ताओं द्वारा की गयी विद्युत चोरी की चैकिंग (Theft Checking of Large Consumers)	उपखण्ड अधिकारी (वितरण) एवं सहायक अभियन्ता (मीटर)	अधिशाली अभियन्ता (वितरण) एवं अधिशाली अभियन्ता (परीक्षण)	निदेशक (वाणिज्य)
विद्युत संयोजन का विच्छेदन (Disconnections of Electricity Connection)	अवर अभियन्ता (वितरण)	उपखण्ड अधिकारी (वितरण)	अधिशाली अभियन्ता (वितरण)

अध्यक्ष
(उ०प्र० पा० का० लि०)

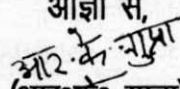
आर.के. गुप्ता

क्रमशः.....2

सं०-665(i)-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2017 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशकगणों से सम्बद्ध समस्त निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल, वि०वि०नि०लि०/केस्को, मेरठ/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/कानपुर।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
6. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त उप सचिव/अनु सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशाली अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/शिविर/प्रकोष्ठ, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

 (आर०के० गुप्ता)
 उप सचिव (ज०श० एवं प्र०सु०)